Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in **E-Mail-eicpwduk@nic.in**

पत्रांकः–1046 / 197 ब्रि०-५ /2020 दिनांकः 11 /11/2020

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
पौड़ी / देहरादून / अल्मोड़ा / हल्द्वानी

विषयः लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले सेतुओं / पैदल सेतुओं के सम्बन्ध में।

कृपया उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1840 / III(2) / 51(सामान्य)–13 / 2020 दिनांक 01 अक्टूबर 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासन ने लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जाने वाले सेतु / पैदल सेतुओं से सम्बन्धित आगणनों के परीक्षण के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की है।

उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि सेतु निर्माण कार्यों के प्रस्तावों पर विभागीय समिति के समक्ष विभाग द्वारा रखे गये प्रस्तुतीकरण के दौरान चर्चा के समय शासन को प्राप्त आगणनों में जो विस्तृत प्राविधान रखे गये हैं उनको क्यों और किस आधार पर रखा गया है का सन्तोषजनक उत्तर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाता है। पत्र में उदाहरण के रूप में दो विषयों का उल्लेख किया गया है यथाः 1) सेतु का स्पान निर्धारण करते समय सिंचाई विभाग से उस नदी के फ्लो का पिछले 20 वर्षों का डेटा आदि लिया जाना, 2) लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई परीक्षण / अध्ययन न करते हुये सीधे आगणन शासन को प्रेषित किया जाता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में शासन के पत्र में निर्देश दिये गये है कि किसी भी सेतु का आगणन प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में स्थापित डिज़ाइन सैल के माध्यम से परीक्षणोपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराया जाय।

शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में डिज़ाइन सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष **द्वारा सेतुओं के** प्राप्त आगणनों का परीक्षण किस प्रकार किया जाना है के संबन्ध में एक मानक प्रक्रिया **–स्टैन्डर्ड औपरेटिंग प्रोसीज़र** (एस.ओ.पी.) निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

1. **प्रायः सेतुओं की डी0पी0आर0** विभिन्न डी0पी0आर0 कनसल्टैण्ट के माध्यम से गठित की जा रही हैं। **ऐसे में खण्ड / वृत्त स्तर पर इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सेतुओं की डी0पी0आर0** एक ही बार **में फाइनल प्राप्त नहीं की जायेगी अपितु** चार चरणों में प्राप्त की जायेगी जिससे प्राप्त डी0पी0आर0 **का स्टेज रिव्यू खण्ड / वृत्त स्तर से तथा** डिज़ाइन सैल स्तर पर किया जा सके। यह चार चरण निम्नानुसार होंगेः 1. इन्सेप्शन रिपोर्ट, 2. प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 3. ड्राफ्ट डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं 4. फाइनल डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। **ऐसे में प्रत्येक स्तर पर डी0पी0आर0 का रिव्यू किया जाना संभव होगा।**

2. लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों अथवा वृत्तों द्वारा पैदल/मोटर सेतुओं के स्थल चयन के समय स्पान का निर्धारण करने में नदी/स्ट्रीम के कैचमेंट ऐरिया का संज्ञान लिया जायेगा तथा सिंचाई विभाग से उस नदी के फ्लो का पिछले 20 वर्षों का डेटा आदि लिया जायेगा और इसके साथ एबटमेन्ट के उचित स्थल को ध्यान में रखते हुये इस आधार पर सेतु का स्पान निर्धारित किया जायेगा। यह प्रकिया इन्सेप्शन रिपोर्ट स्तर पर सम्पादित की जायेगी। इसी स्तर पर सेतु के डिज़ाइन हेतु चयनित लाइव लोड एवं लेन कनफिगरेशन का निर्णय भी लिया जायेगा। **इन्सेप्शन रिपोर्ट स्तर तक का परीक्षण खण्ड/वृत्त स्तर पर पूर्ण कर लिया जायेगा।**

3. कनसल्टैन्ट द्वारा सेतु का प्रकार का निर्धारण तथा स्पान एरेन्जमेन्ट, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेज पर प्रस्तुत किया जायेगा। कनसल्टैन्ट द्वारा प्रस्तावित सेतु के फिनिश्ड लेवल, सौफिट लेवल, एच0एफ0एल0 आदि का परीक्षण करने के उपरान्त जेनरल ऐरेन्जमेन्ट ड्राइंग (जी0ए0डी0) बनायी जायेगी जिसे खण्ड/वृत्त स्तर से अनुमोदित किया जायेगा। इसी स्तर पर सेतु के सब स्ट्रकचर एवं फाउन्डेशन के डिज़ाइन के लिये जियोटेक्निकल इनवेस्टिगेशन खण्ड के सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी के समक्ष पूर्ण करायी जायेगी। कनसल्टैन्ट द्वारा सेतु के डिज़ाइन एपरोच की चर्चा की जायेगी तथा साइट की स्थिति, फाउन्डेशन की स्थिति, निर्माण सामग्री की उपलब्धता के आधार पर मितव्यता को दृष्टिगत रखते हुये सेतु के प्रकार, स्पान ऐरेन्जमेंट, फाउन्डेशन का प्रकार तथा बियरिंग के प्रकार का निर्णय लिया जायेगा। **इस संपूर्ण प्रकिया का परीक्षण खण्ड/वृत्त स्तर से तथा डिज़ाइन सैल स्तर से संयुक्त रूप से किया जायेगा। खण्ड के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता तथा डिज़ाइन कनसल्टैन्ट द्वारा इस स्तर पर परीक्षण हेतु डिज़ाइन सैल से संपर्क किया जायेगा।**

4. कनसल्टैन्ट द्वारा सेतु के सुपरस्ट्रक्चर, सबस्ट्रक्चर एवं फाउन्डेशन का डिज़ाइन ड्राफ्ट डी0पी0आर0 स्टेज पर प्रस्तुत किया जायेगा जिसे **प्रूफ चेकिंग से पूर्व प्रारम्भिक परीक्षण हेतु डिज़ाइन सैल स्तर को सम्बन्धित वृत्तीय कार्यालय द्वारा प्रेषित किया जायेगा तथा डिज़ाइन सैल द्वारा आवश्यक टिप्पणी सम्बन्धित वृत्तीय कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।** डिज़ाइन कनसल्टैन्ट द्वारा इसी स्तर पर डिज़ाइन को वेटिंग/ प्रूफ चेकिंग हेतु संम्बन्धित एजेन्सी को प्रेषित कर दिया जायेगा जिससे फाइनल डिज़ाइन प्राप्त होते समय कोई औपचारिकतायें शेष न रह जायें। इसी स्तर पर फाइनल जी0ए0डी0, ड्राइंग आदि पर टिप्पणी प्रस्तुत कर दी जायेगी।

5. **फाइनल डी0पी0आर0 स्टेज पर कनसल्टैन्ट द्वारा सभी संशोधनों सहित प्रूफ चेकिंग करने के उपरान्त फाइनल डी0पी0आर0 एवं ड्राइंग प्रस्तुत की जायेगी।** खण्ड एवं वृत्त स्तर से इस संबन्ध में परीक्षण किया जायेगा कि फाइनल डी0पी0आर0 में सभी टिप्पणियों का समावेश कर लिया गया है तथा डिज़ाइन एवं ड्राइंग प्रूफ चेक कर ली गयीं हैं। **फाइनल डी0पी0आर0 का परीक्षण खण्ड/वृत्त स्तर पर ही पूर्ण कर लिया जायेगा।**

6. **सेतुओं के डिज़ाइन के सम्बन्ध में डिज़ाइन सैल से समस्त पत्राचार मुख्य अभियन्ता नियोजन (मु0) को संबोधित किया जायेगा तथा डिज़ाइन सैल स्तर से भी टिप्पणी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता नियोजन (मु0) के स्तर से ही प्रेषित की जायेगी।**

7. प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेज ड्राफ्ट डी0पी0आर0 स्टेज पर परीक्षण करते समय खण्ड के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं डिज़ाइन कनसल्टैन्ट को डिज़ाइन सैल में संपर्क करने हेतु निर्देशित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड/वृत्त का होगा।

कृपया उपरोक्त निर्धारित प्रकिया के अनुसार सेतुओं की डी0पी0आर0 का परीक्षण फील्ड स्तर से एवं डिज़ाइन सैल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून से कराया जाना सुनिश्चित करें।

10/11/2020

(हरि ओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय (नियोजन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता (डिज़ाइन सैल) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

10/11/2020

प्रमुख अभियन्ता